राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010
फोन (0744)–.2473003 फेक्स (0744)–2473033

क्र0: एफ(2) / बोम–41 / 2022 / 7783–7802

दिनांकः 28.11.2022

सम्मानीय सदस्य,
प्रबंध मण्डल,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

विषय : प्रबंध मण्डल की 41वीं नियमित बैठक के कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत्।
संदर्भ : इस कार्यालय के पत्रांक 7565 दिनांक 24.11.2022

महोदय,

दिनांक 23 नवम्बर 2022 (बुधवार) को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 41वीं नियमित बैठक के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी कर आपको प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(प्रहलाद मीना)
कुलसचिव एंव
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	: 41वीं बैठक
स्थान	: कुलपति सचिवालय का सभा कक्ष
दिनांक	: 23 नवम्बर 2022
समय	: प्रातः 11.30 बजे

दिनांक 23.11.2022 को सम्पन्न हुई प्रबंध मण्डल की 41वीं बैठक के कार्यवाही विवरण

दिनांक 23.11.2022 को सम्पन्न हुई प्रबंध मण्डल की 41वीं बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहेः—

1. प्रो. एस.के.सिंह,	अध्यक्ष
2. श्री राम नारायण जी मीना	सदस्य
3. श्री एम.ए. पठान,	सदस्य (प्रतिनिधि,प्रमुख शासन सचिव, तक0शि0)
4. श्री प्रहलाद मीणा,	सचिव
5. श्री लोकेन्द्र सिंह	सदस्य (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त)
6. श्री संत कुमार चौधरी	सदस्य
7. श्री अशोक सनाढ्य	सदस्य (प्रतिनिधि, निदेशक तकनीकी शिक्षा)
8. प्रो. मिथिलेश कुमार,	सदस्य
9. प्रो. एस.के.राठौर,	सदस्य
10. प्रो. विवेक पांडे,	सदस्य
11. प्रो. धीरेन्द्र माथुर	सदस्य
12. डॉ. हरीश शर्मा	सदस्य
13. श्रीमती संजु तंवर	सदस्य

श्री पानाचंद जी मेघवाल एवं श्री रवि जूनीवाल, प्रशासनिक कारणों से बैठक में उपथित नहीं हो सके।

देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित करने के पश्चात समस्त माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्रगान का गायन किया गया। कुलसचिव द्वारा माननीय कुलपति महोदय से 41वीं प्रबंध मण्डल की बैठक आरम्भ करने की आज्ञा लेने के पश्चात बैठक को विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया।

प्र.म. 41.1 **प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।**

(कुलसचिव)

प्रो. एस.के.सिंह, माननीय कुलपति, श्री प्रहलाद मीणा, कुलसचिव, श्री अशोक सनाढ्य, डॉ0 हरीश शर्मा एवं श्रीमती संजू तंवर का स्वागत किया गया एवं प्रो. आर.ए.गुप्ता तत्कालीन कुलपति, श्रीमती आराधना सक्सेना, तत्कालीन कुलसचिव, डॉ. रवि गुप्ता, डॉ. रमेश पचार, प्रो0 ए.ए.हनफी, प्रो. अनिल के. माथुर, डॉ. मनीष चतुर्वेदी एवं श्री सी.डी.प्रसाद द्वारा दिये गये योगदान की सराहना की जाती है। प्रबंध मण्डल के सदस्यों की वर्तमान सूची माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।
(अनुलग्नक 41.1 पृष्ठ 1–2)

संकल्प **अवलोकन किया गया।**

प्र.म. 41.2 **दिनांक 07.02.2022 को हुई प्रबंध मण्डल की 40वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना। (अनुलग्नक 41.2 पृष्ठ संख्या – 3 से 16 तक)**
(कुलसचिव)

कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **अवलोकन कर अनुमोदित किये गये।**

प्र.म. 41.3 **दिनांक 07.02.2022 को हुई प्रबंध मण्डल की 40वीं बैठक के कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ**

(कुलसचिव)

प्र.म.40.1	प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।	अवलोकन किया गया
प्र.म.40.2	दिनांक 26.07.2021 को हुई प्रबंध मण्डल की 39वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	अनुमोदन किया गया
प्र.म.40.3	दिनांक 26.7.2021 को हुई प्रबंध मण्डल की 39वीं विशेष बैठक के कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ	पत्र संख्या 425 दिनांक 11.4.2022 राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। **(अनुलग्नक 41.3.1 पृष्ठ संख्या 17–32)**
प्र.म.40.4	दिनांक 31.7.2021 को हुई विद्या परिषद की 33वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	कार्यालय आदेश संख्या 5223–28 दिनांक 3.9.2021 द्वारा सभी संबंद्ध महाविद्यालयो को पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है। **(अनुलग्नक 41.3.2 पृष्ठ संख्या 33–35)**

प्र.म.40.5	दिनांक 29.1.2022 को हुई विद्या परिषद की 34वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया।
प्र.म.40.6	दिनांक 13.8.2021 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 25वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन	अनुमोदन किया गया
प्र.म.40.7	दिनांक 28.9.2021 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 26वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन	अनुमोदन किया गया
प्र.म.40.8	परीक्षा वर्ष 2020में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को एकादश दीक्षान्त समारोह में उपाधि अनुग्रहित करने के क्रम में।	अनुमोदन किया गया
प्र.म.40.9	एकादश दीक्षान्त समारोह में कुलाधिपति स्वर्ण पदक व कुलपति स्वर्ण पदक, पात्र छात्रों को प्रदान किये जाने का अनुमोदन।	अनुमोदन किया गया
प्र.म.40.10	माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को अनुज्ञात सानुग्रह अवसर को संसूचित करने व एम.टेक/एम.आर्क. के विद्यार्थियों को लघु शोध प्रबन्ध जमा कराये जाने की अन्तिम तिथि में अभिवृद्धि किये जाने का अनुमोदन।	कार्यालय आदेश संख्या 3751–66 दिनांक 22.2. 2022जारी किया गया। **(अनुलग्नक 41.3.3 पृष्ठ संख्या 36)**
प्र.म.40.11	कुलपति की नियमित नियुक्ति के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में प्रबंध मण्डल द्वारा सदस्य का चयन कर सूचना राजभवन प्रेषित करने संबंधी प्रस्ताव।	राजभवन जयपुर को इस कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 12359 दिनांक 17.2.2022 प्रेषित किया गया। **(अनुलग्नक 41.3.4 पृष्ठ संख्या 37)**
प्र.म.40.12	माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के विधिक प्रकरणों हेतु अतिरिक्त स्टेडिंग काउसिंल की नियुक्ति के संबंध में	पत्र संख्या 13660 दिनांक 26.03.2022 द्वारा श्री प्रदीप माथुर से सहमति पत्र चाहा गया है। **(अनुलग्नक 41.3.5 पृष्ठ संख्या 38) शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**
प्र.म.40.13	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतनमान में केरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत ग्रेड पे 6000–7000 तथा 7000–8000 का लाभ दिये जाने हेतु चयन समिति की अनुशंसाऐं अनुमोदनार्थ ।	निर्णयानुसार प्रस्ताव इस बैठक में रख लिया गया है।
प्र.म.40.01(आर)	बी. टेक. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थियों जिनके पास 10+2 में भौतिकी या गणित विषय नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स हेतु पाठयक्रम एवं दिशा निर्देश	अवलोकन किया गया
प्र.म.40.1(पूरक)	श्री मनोज कुमार जांगिड, सहायक कुलसचिव (वित्त) एवं (तत्कालीन) पी.एफ. सैल के प्रभारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अधीन सम्पादित विभागीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।	कार्यालय का पत्र संख्या 12805–07 दिनांक 4.3. 2022 द्वारा राज्यपाल सचिवालय जयपुर प्रेषित किया गया। **(अनुलग्नक 41.3.6 पृष्ठ संख्या 39–40)**

उक्त कार्यपालना रिपार्ट माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **प्रस्ताव निम्नांकित निर्देशों के साथ अवलोकन कर अनुमोदन किया गया :—**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतनमान में केरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत ग्रेड पे 6000—7000 तथा 7000—8000 के अनुशंसाओं के लिफाफे इसी बैठक में खोले जाने थे परन्तु 8 अन्य शिक्षकों को पूर्व सेवाओं का लाभ दिया गया है और उनकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट अप्राप्त होने के कारण आगे की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। बैठक में कमेटी के कन्वीनर द्वारा आगामी 7 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया है, तत्पश्चात केरियर एडवान्समेंट स्कीम हेतु शेष प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करके सभी योग्य शिक्षकों के लिफाफे प्रबंध मण्डल की बैठक में खोलने का निर्णय लिया गया।

प्र.म.41.4 **दिनांक 30.03.2022 को हुई विद्या परिषद की 35वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना। (अनुलग्नक 41.4 पृष्ठ संख्या 41 से 52 तक)**

(कुलसचिव)

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **अवलोकन कर अनुमोदित किये गये।**

प्र.म.41.5 **दिनांक 30.03.2022 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 27वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन (अनुलग्नक 41.5 पृष्ठ संख्या 53 से 91 तक)**

वित्त नियंत्रक

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **दिनांक 30.03.2022 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 27वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण निम्नांकिंत निर्देशों के साथ अवलोकन कर अनुमोदित किये गये।**

1. बिन्दु सं0 वि.स. 27.10 में माननीय सदस्यों द्वारा निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA सहपठित धारा 11(2) के अन्तर्गत आयकर से छूट प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियत समय पर पंजीयन नही करवाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पर 12 करोड की शास्ति का अनावश्यक भार पडा। अतः जिन कार्मिकों की वजह से शास्ति लगी उन पर उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु एक समिति का गठन किया जावे। यदि अभी तक उक्त प्रकरण में अपील नही की गई है तो अपील भी की जाये।

2. बिन्दु सं0 वि.स. 27.12 में माननीय सदस्यों द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा पत्र में 2004 के पूर्व व पश्चात नियुक्त सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना देने की घोषणा की है। वित्त समिति के बिन्दु सं0 27.12 के क्रम में संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग

द्वारा दिनांक 15.09.2022 एवं 27.09.2022 को आयोजित पेंशन प्रकरण की बैठक में निर्देश प्रदान किये गये कि विश्वविद्यालय की संचित निधि से 200 करोड रूपये को पेंशन फण्ड हेतु हस्तान्तरित नही किये जायें। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022—23 में बजट घोषणा के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्मिकों को पुरानी पेंशन दिनांक 01.04.2022 से देने का विचार कर रही है जो कि विचाराधीन है अतः राज्य सरकार के पेंशन देने के निर्णय तक उक्त प्रस्ताव स्थगित किया जाता है साथ ही माननीय सदस्यों द्वारा निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना तुरन्त लागू करने के लिए राज्य सरकार को सभी तथ्यों को उल्लेखित करते हुए दावेदारी को मजबूत बताते हुए पत्र लिखा जाये एवं पत्र की प्रति माननीय विधायक महोदय को प्रेषित करते हुए व्यक्गित रूप से राज्य सरकार के समक्ष विश्वविद्यालय का मजबूत पक्ष रखने के लिए निवेदन भी किया जाये।

3. बिन्दु सं0 वि.स. 27.17 में माननीय सदस्यों द्वारा निर्देशित किया गया कि आरजीएचएस पॉलिसी हेतु विश्वविद्यालय कार्मिकों के अंशदान को समय का जमा नही करवाने के कारण कार्मिकों को स्वास्थ्य समस्या होने पर स्वयं के खर्च पर ईलाज करवाया गया जो कि अनुचित है अतः भविष्य में ऐसी अनियमितता न हो इसका ध्यान रखा जाये एवं भविष्य में आरजीएचएस पॉलिसी का नवीनीकरण समय पर किया जावे। साथ ही विश्वविद्यालय के कार्मिकों के दिनांक 30.06.2022 तक की अवधि के बिलों को राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियमो के तहत पारित किया जावेगा।

प्र.म.41.6 **सी.ए.एस./संकाय चयन के लिए विषय विशेषज्ञ का पेनल अनुमोदित करने बाबत।**

राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक और अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 के अनुसार विभिन्न संकाय पदों की सीएएस/सीधी भर्ती के लिए विषय विशेषज्ञ का पैनल संबंधित अध्ययन बोर्ड से प्राप्त किया गया है। अधिनियम के अनुसार इन पैनल्स को उपरोक्त के लिए गठित समिति (आरपीएससी) को अग्रेषित किया जाएगा। ।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और मानविकी एवं गणित के विषय विशेषज्ञों का पैनल को अलग—अलग सीलबंद लिफाफे में रख माननीय सदस्यों से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तावित पेनल की समीक्षा कर संशोधित करने के लिए अधिकृत करते हुए प्रस्ताव अनुमादित किया गया।**

प्र.म.41.7 **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु रोस्टर रजिस्टर का अनुमोदन**

राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक एफ.1(39)आर.बी./1996 पार्ट/3028 दिनांक 16.07.2021 **(अनुलग्नक 41.7.1 पृष्ठ संख्या 92)** के साथ उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4) पत्र क्रमांक प.18(2)/शिक्षा–4 पार्ट, दिनांक 09.07.2021 **(अनुलग्नक 41.7.2 पृष्ठ संख्या 93 से 114 तक)** की पालना में राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित किये गये रोस्टर नियमों एवं दिशा निर्देशों के तहत विश्वविद्यालय के रोस्टर रजिस्टर के संधारण के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश कमांक एफ (4)रोस्टर /2021/4181–89 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति के द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संवर्ग के पदों का रोस्टर रजिस्टर तैयार करने के पश्चात माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय के पत्र कमांक एफ(4)/स्था./नियुक्ति/2021/ 6746–47 दिनांक 30.09.2021 के द्वारा प्रशासनिक विभाग अर्थात् संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर को तैयार रोस्टर रजिस्टर का प्रारूप संलग्न कर मार्गदर्शन एवं अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। उक्त प्रेषित पत्र के क्रम में संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर का पत्र कमांक एफ. 8(12)/2017 दिनांक 26.10.2021 के द्वारा विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति की पालना एवं रोस्टर रजिस्टर संधारित करने हेतु दिशा निर्देश के तहत रोस्टर रजिस्टर तैयार कराने के निर्देश प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय के द्वारा पत्र कमांक एफ(4)/स्था./नियुक्ति/2021/7688 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा आरक्षण एवं रोस्टर के प्रावधान को लागू करने के संबंध में संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर को पत्र लिखा गया। जिस क्रम में संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग का पत्रांक एफ 8(12)तशि/12 दिनांक 30.11.2021 आरक्षण एवं रोस्टर के प्रावधान लागू करने के संबध में पत्र प्राप्त हुआ। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के द्वारा पत्र कमांक एफ(4)स्था./नियुक्ति/2021 /9719 दिनांक 18.12.2021 के द्वारा आरक्षण एवं रोस्टर के प्रावधानों के संबंध में कुछ बिन्दुओं पर मार्गदर्शन हेतु लिखा गया। उक्त पत्र के क्रम में संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर का पत्र कमांक एफ 8(12)तशि/2017 दिनांक 28.01.2022 प्राप्त हुआ। तत्पश्चात विश्वविद्यालय में आरक्षण एवं रोस्टर हेतु गठित समिति की विभिन्न बैठकों के पश्चात तैयार शैक्षणिक संवर्ग के पदों यथा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर पदो के प्रस्तावित

रोस्टर रजिस्टर को अंतिम रूप देते हुए माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् दिनांक 11.02.2022 **(अनुलग्नक 41.7.3 पृष्ठ संख्या 115 से 137 तक)** को विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया एवं यह सूचित किया गया कि उक्त प्रस्तावित रोस्टर रजिस्टर पर यदि कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अवगत करावे। उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा डॉ. राकेश दुबे द्वारा दिनांक 15.02.2022 के पत्र द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी और यह लिखा गया कि प्रस्तावित रोस्टर रजिस्टर में सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) तथा लाइब्रेरियन के पद को भी शैक्षणिक संवर्ग के पदो के समकक्ष मानते हुए सम्मिलित किया जावे। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है–

(1) विश्वविद्यालय को एक ईकाई मानकर आरक्षण देने व आरक्षण पंजिका का संधारण करने के सम्बन्ध में जारी नियमों के वर्गीकरण 'C' 2 के अनुसार "The Roster Register have to be maintained for all teachers cadres. Here teachers' cadre means "a class of teachers regardless of the branch of study or faculty, who once remunerated at the same grade of pay, including allowance or bonus" and equivalent cadre means "the service cadres have equivalent pay scale & grade pay". for example Director Physical Education, Librarian are equivalent for the purpose of operation of reservation through roster."

(2) किन्तु विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक संवर्ग के भर्ती संबंधी राजभवन से पारित स्टेट्यूटस के SCHEDULE I 'A' के Administrative Staff में Sports Officer एवं Librarian के पद को सम्मिलित किया गया है। तदनुसार इन पदों को अशैक्षणिक संवर्ग में रखा गया है एवं इसी आधार पर गठित कमेटी द्वारा Sports Officer एवं Librarian पद को शैक्षणिक संवर्ग हेतु बनाये गये प्रस्तावित रोस्टर रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है। अतः राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के वर्तमान में पारित/लागू नियमों के अन्तर्गत रोस्टर रजिस्टर अनुमोदनार्थ एवं तदनुसार ही उपरोक्त आपत्ति को निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। **(अनुलग्नक 41.7.4 पृष्ठ संख्या 138से 148 तक)**

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **अवलोकन कर अनुमोदित किये गये।**

प्र.म.41.8 **श्री मनोज कुमार जांगिड, सहायक कुलसचिव (वित्त एवं लेखा) के विरूद्ध CCA नियम 17 के तहत प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर निर्णय किये जाने बाबत।**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की निधियों को बैंकों में निवेश संबंधित प्रकरण में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान् संभागीय आयुक्त, कोटा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर श्री मनोज कुमार जांगिड, सहायक कुलसचिव वित्त एवं तत्कालीन पीएफ सैल के प्रभारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 सीसीए के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप पत्र जारी किये गये तथा श्री राकेश भारतीय, तत्कालीन वित्त नियंत्रक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री राकेश भारतीय, जांच अधिकारी द्वारा नियम 17 सीसीए के अंतर्गत प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री जांगिड पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये और उक्त जांच रिपोर्ट को विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल (नियुक्ति प्राधिकारी) की 40वीं बैठक दिनांक 07.02.2022 के बिन्दु संख्या 40.1 (पूरक) में निर्णयार्थ रखा गया, जिसमें प्रबंध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त जांच रिपोर्ट एवं संभागीय आयुक्त द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु भिजवाया गया। **(अनुलग्नक 41.8.1 पृष्ठ संख्या 149 से 189 तक)** श्रीमान् प्रमुख सचिव, राज्यपाल के पत्र क्रमांक 4499 दिनांक 26.08.2022 के अनुसार प्रकरण में जिन कार्मिकों का नियुक्त प्राधिकारी राज्य सरकार है, उनके विरूद्ध कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के सुसंगत नियमों में आरोप पत्र जारी करने एवं जो विश्वविद्यालय के कार्मिक है, उनके विरूद्ध प्रस्तावित सी.सी.ए. नियम 17 में जांच होने के उपरान्त जांच आख्या पर विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल के माध्यम से कार्यवाही करने के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है। **(अनुलग्नक 41.8.2 पृष्ठ संख्या 190)**

अतः निर्देशों के अनुसार प्रकरण में श्री जांगिड के विरूद्ध नियम 17 सीसीए के अंतर्गत प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प सभी माननीय सदस्य प्रस्ताव से सहमत थे परन्तु माननीय विधायक महोदय श्री रामनारायण जी मीणा द्वारा प्रकरण का अध्ययन करने हेतु कुछ समय मांगा गया है तदनुरूप माननीय सदस्य से सुझाव प्राप्त होने के पश्चात उक्त बिन्दु का संकल्प जारी कर समस्त सदस्यों को पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।

प्र.म. टी 41.1 **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 अनुमोदन करने हेतु**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 44 के तहत विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी तैयार कर राज्य विधान–मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है।

इस हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 (31 दिसम्बर 2022 तक) तैयार कर माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जा रहा है। वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने एवं राज्य सरकार को प्रेषित करने के मध्य वार्षिक प्रतिवेदन में टंकण त्रुटि एवं आंशिक संशोधन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करना प्रस्तावित है। (संलग्नः वार्षिक प्रतिवेदन)

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।**

प्र.म. टी 41.2 **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.) की स्थापना किये जाने के संबंध में।**

आरटीयू कोटा में विभिन्न गैर तकनीकी कार्य एवं दिन प्रतिदिन की आवश्यकता संबंधी कार्यों हेतु गत काफी समय से जी.ए.डी. विभाग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति कुलसचिव के अधीन सहायक कुलसचिव /उप–कुलसचिव के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्न कार्य करना प्रस्तावित है–

1. विश्वविद्यालय के विभिन्न उत्सवों /कार्यक्रमों हेतु A.R.C. एवं विभिन्न प्रकार के रख–रखाव हेतु A.M.C. की व्यवस्था।
2. वाहन संचालन संबंधी व्यवस्था।

3. मैन पावर संबंधी व्यवस्था।
4. समस्त प्रकार की क्रय प्रकिया व भण्डार का संचालन।
5. सुरक्षा व्यवस्था।

सामान्य प्रशासन विभाग को सुचारू रूप से क्रियाशील बनाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में कुलसचिव द्वारा कार्यों/निर्देशों को संपादित किया जाना है, अतएव माननीय कुलपति महोदय को इस कार्य हेतु अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।**

प्र.म. टी (आर) 41.1 श्री भगवान दास गिदवानी, सह आचार्य, यांत्रिकी विभाग, अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर (वर्तमान प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा) तथा श्री विकास बंसल, सह आचार्य यांत्रिकी विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की सेवायें परस्पर समायोजित करने बाबत्।

संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश कमांक एफ.1(1)त.शि./2016 पार्ट दिनांक 29.09.2022 द्वारा श्री भगवान दास गिदवानी, सह आचार्य, यांत्रिकी विभाग, अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर (वर्तमान प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा) तथा श्री विकास बंसल, सह आचार्य यांत्रिकी विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की सेवायें परस्पर समायोजित की गई है, की क्रियान्विति की जानी है। (अनुलग्नक–1 पृष्ठ–1)

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **अवलोकन कर सरकार का आदेश स्वीकार कर लिया गया है।**

कुलपति एवं कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

28/11/22 28/11/22

(प्रो. एस. के. सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

(प्रहलाद मीणा)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा